न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:—405/21 दायर दिनांक:— 30.11.2021

जीसीएमएस नं. 2021/574

1. कुव्वलीराम पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी गांवडा गूजर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज.

—वादीसायल

बनाम

1. धारासिंह पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी गांवडा गूजर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज.

—प्रतिवादीगण गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1. श्री मुरारीलाल करौसोलिया अधिवक्ता प्रार्थी
2. गैर सायल एक ता 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही।

<u>निर्णय दिनांक 27.3.2024</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा न0 558 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 559 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 560 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 561 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 562 रकबा 0.23 है0, खसरा न0 563 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 564 रकबा 0.28 है0, खसरा न0 565 रकबा न0 0.05 है0, खसरा न0 566 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 567 रकबा 0.19 है0, किता 10 कुल रकबा 1.70 है0 वाके गॉवडा गूजर, तहसील हिण्डौन में स्थित है।

आराजीयात वर्णित प्रार्थना पत्र मद सं0 02 खसरा न0 558 में बहिस्सा 1/12 सायल व बहिस्सा 1/2 सायल के बेटे मनीष, बहिस्सा 1/12–1/12 गैरसायलान स0 01 व 02 एवं अन्य भाई बहिनो का है। शेष खसरा नम्बरान में बहिस्सा 1/24 सायल व बहिस्सा 1/4 सायल के बेटे मनीष बहिस्सा 1/24–1/24 गैरसायलान 01 व 02 एवं अन्य भाई बहिनो का है। बहिस्सा 1/2 सायल के चाचा रूपे पुत्र रूगनाथ का है। गैरसायल स0 03 का आराजीयात [illegible] से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात वर्णित मद स0 02 प्रार्थना पत्र का सायल व गैरसायलान 01 ता [illegible] व सायल के अन्य भाई बहनो, सायल के चाचा रूपे के द्वारा करीबन 40 साल पहले मौके पर बा[illegible] बंटवारा कर लिया जाने पर खसरा न0 558 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 559 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 560 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 561 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 562 रकबा 0.23 है0, खसरा न0 564 रकबा 0.28 है0, 565 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 567 रकबा 0.19 है0 किता खसरा न0 08 कुल रकबा 1.29 है0 की संपूर्ण भूमि सायल के हिस्से में आने पर सायल ही काश्त करता चले आने पर निरन्तर रूप से सायल के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है।

आराजीयात वर्णित मद स0 02 प्रार्थना पत्र में अन्य हिस्सेदार खातेदरान गैरसायलान 01 व 02 व उनके अन्य भाई बहनो को खसरा न0 558 में 1/12–1/12 व शेष खसरा नम्बरान में उनके हिस्से 1/24–1/24 की कुल भूमि 0.35 है0 की एवजी भूमि सायल व सायल के बेटे मनीष के द्वारा सम्मिलित हिस्सेदारी खातेदारी की अन्य आराजीयात में काश्त के लिये गैरसायलान को सुपुर्द किये जाने पर गैरसायलान 01 ता 02 व उनके अन्य भाई बहनो के कब्जे काश्त में चले आने पर उनके द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई एतराज नही किया गया था।

आराजीयात वर्णित मद स0 02 प्रार्थना पत्र का जरिये बाहमी बंटवारा मौके पर खसरा न0 563 रकबा 0.24 है0 व खसरा न0 566 रकबा 0.17 है0 सायल के चाचा रूपे के हिस्से में आने पर, कब्जे काश्त में चली आने पर सायल के चाचा रूपे के द्वारा भी खसरा न0 559, 560, 561, 562, 564, 565, 567 पर सायल का कब्जा होने पर कभी किसी प्रकार का कोई एतराज नही किया गया है।

यह है कि आराजीयात वर्णित मद स0 02 प्रार्थना पत्र खसरा न0 558 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 559 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 560 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 561 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 562 रकबा 0.23 है0, खसरा न0 564 रकबा 0.28 है0, खसरा न0 565 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 567 रकबा 0.19 है0, किता 08 के सम्पूर्ण भाग कुल रकबा 1.29 है0 पर सायल का बखूबी निरन्तर रूप से कब्जा काश्त चला आने पर सायल ही बखूबी काबिज एवं दाखिल चला आ रहा है।

सायल के दोनो पैरो में फ्क्चर हो जाने से चले फिरने में असमर्थ हो जाने पर गैरसायलान 01 ता 03 की नियत में बदनीयती आ गयी है। गैरसायलान 01 ता 03 जबरन सायल की कब्जें काश्त की आराजीयात कृषि भूमि खसरा नम्बरान 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 567 से सायल को बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं।

यह है कि वाका दिनांक 20.11.2021 का है सायल के पैर में फ्रैक्चर हो जाने के कारण से सायल की पत्नि उक्त आराजीयत वर्णित मद स0 02 प्रार्थना पत्र सायल के कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा न0 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 567 में गेहूँ की फसल की बुवाई कराने के लिये गयी तो गैरसायलान 01 ता 03 एक राय होकर आ गये और कहने लगे कि हम तुम्हें किसी सूरत में इन खेतों में फसल नही बोने देंगे इस जमीन को हमें बेच दो तुम्हें जमीन की क्या जरूरत है तुम्हारे सभी बेटे नौकरी करते हैं।

सायल की पत्नि ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन वे कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। सायल के द्वारा भी समझाने पर भी गैरसायलान के कोई बात समझ में नहीं आयी है, उनकी नियत में खोट उत्पन्न हो गया है।

सायल के बेटे बाहर रहकर नौकरी करने पर सायल गॉव में अकेला रहता है। अच्छा पढालिखा व एडवोकेट है लडाई झगडो के बुरे परिणामों से वाकिव है, जबकि गैरसायलान झगडालू, मुठठमर्द व गिरोहबंद व्यक्ति हैं, सायल के बखूबी निरन्तर रूप से कब्जे काश्त में चली आ रही आराजीयात वर्णित प्रार्थना पत्र मद स0 02 पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं।

सायल ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन वे कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। सायल के द्वारा गैरसायलान को काफी समझाने पर भी गैरसायलान अपनी हठधर्मिता पर आमादा है। इसलिये सायल को दावा माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है जिसका फैसला होने में काफी समय लगने की सम्भावना है।

गैरसायलान ने सायल को अपने स्वामित्व, कब्जे काश्त की आराजीयात वर्णित मद स0 02 का स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग–उपयोग नहीं करने दिया तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्म ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगा। जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने में उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं हो सकेगी। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान, सायल के खातेदारी स्वामित्व स्वत्व व कब्जे काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात खसरा न0 558 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 559 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 560 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 561 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 562 रकबा 0.23 है0, खसरा न0 564 रकबा 0.28 है0, खसरा न0 565 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 567 रकबा 0.19 है0, कुल किता 8 के सम्पूर्ण भाग, कुल रकबा 1.29 है0 बाके गांव गॉवडा गूजर की संपूर्ण भूमि से सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। ना ही कब्जे काश्त, उपभोग, उपयोग करने, आराजी की डोण मेंड चारदीवारी करने आदि भूमि सुधार कर आराजीयात के परिवर्धन व विकासन में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे, ना ही किसी अन्य से करवाये। ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल की तलवी हेतू सम्मन जारी किये गये गैरसायलान की वाद तामील नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये, गैरसायलान बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 02.02.2024 द्वारा गैरसायलान के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सायलान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 30.11.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की स्थिति ता फैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/3/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested